बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ई० पी० पी० अंग्री भूमि/योजना 02/18

पत्रांक– 987

पटना, दिनांक– 12-3-2018

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय :– अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (2017–18) के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को मलवरी कीटपालन के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए रू0 4,55,43,000/–(चार करोड़ पचपन लाख तैंतालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (2017–18) के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को मलवरी कीटपालन के माध्यम सशक्तिकरण के लिए संलग्न विवरणी के अनुसार रू0 4,55,43,000/–(चार करोड़ पचपन लाख तैंतालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 4,55,43,000/–(चार करोड़ पचपन लाख तैंतालीस हजार) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0105 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड–23- 2851007890105 के अन्तर्गत विषय शीर्ष –0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध प्राप्त है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पूर्णिया के द्वारा पूर्णिया कोषागार से एकमुश्त अग्रिम के रूप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना के पक्ष में की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जाएगा। जीविका अपने Procurement Guidelines के अनुासार सामग्रियों का क्रय करेगा। जीविका के मलवरी परियोजना में संलग्न अनुसूचित जातियों के परिवारों का जिलावार प्राप्त आंकड़े के आधार पर राशि की स्वीकृति दी जा रही है। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के अत्यंत कमजोर वर्ग को ही दिया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं कार्यान्वयन पदाधिकारियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर महालेखाकार को भेजेंगे।

6. यह राज्यादेश संचिका संख्या–रे0/यो0 वि अंगीभूत योजना –02/18 के पृष्ठ 06 पर दिनांक 09.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

7. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रंक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक– संलग्न व्यय विवरणी (अनु0–1)।

विश्वासभाजन,

12-3-18

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

12.3.18

M/Rajyadesh

ज्ञापांक–. 987 पटना,दिनांक– 12-3-2018

प्रतिलिपि–व्यय विवरणी सहित कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 987 पटना,दिनांक– 12-3-2018

प्रतिलिपि–व्यय विवरणी सहित संबंधित सभी महप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) पूर्णिया/परियोजना पदाधिकारी मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र सहरसा/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 987 पटना,दिनांक– 12-3-2018

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. 987 पटना,दिनांक– 12-03-2018

प्रतिलिपि–व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को तथा आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

M/Rajyadesh

अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (2017–18) के तहत् मलवरी कीटपालन के माध्यम अनुसूचित जाति के परिवारों के सशक्तिकरण के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	इकाई	इकाई लागत (रु0)	सहरसा		किशनगंज		सुपौल		अररिया		पूर्णिया		मधेपुरा		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	पंपसेट एवं संबंधित सामग्री (ISI प्रमाणित) का क्रय (100%)	सं0	12500	17	2.125	85	10.625	50	6.25	30	3.75	55	6.875	45	5.625	282	35.25
2	कीटपालन उपस्कर आपूर्ति (100 %)	सं0	25000	17	4.25	85	21.25	50	12.50	30	7.50	55	13.75	45	11.25	282	70.50
3	विसंक्रामंक आपूर्ति (100 %)	सं0	4000	17	0.68	85	3.40	50	2.00	30	1.20	55	2.20	45	1.80	282	11.28
4	कीटपालन गृह निर्माण		120000	17	20.40	85	102.00	50	60.00	30	36.00	55	66.00	45	54.00	282	338.40
	कुल				**27.455**		**137.275**		**80.75**		**48.45**		**88.83**		**72.68**		**455.43**

(चार करोड़ पचपन लाख तैंतालीस हजार मात्र)

12.3.18

सरकार के अवर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आदेश
12.3.18